सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 93 /2018

बैजनाथ पुत्र काना जाट निवासी फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

-----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं धार 136 राज. भू–राजस्व अधि.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 23.05.2018

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधि. के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2042 के खाता स. 282 के खसर नम्बर 34/1 किस्म बारानी प्रथम एवं खाता स. 244 के खसरा नम्बर 34/2 किस्म बा.तृ. बैजनाथ पुत्र काना जाट का दर्ज रिकॉर्ड है जिसके वर्तमान जमाबन्दी सं. 2072–75 के खाता स. 143 के खसरानम्बर 38 एवं खाता स. 144 के खसरा नम्बर 40 किस्म पेटा ता. खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि उक्त आराजीयात खातेदारी की आराजीयात है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वर्किंग जमाबन्दी स. 2042 में वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी जिसकी किस्म बारानी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी एव बाद सेटलमेन्ट के राजस्व अधिकारियों द्वारा आराजीयात का किस्म परिवर्तन कर बारानी की पे.ता.दर्ज कर दी गयी जो कि गलत है जिसके कारण वादी को फार्म पोण्ड खुदवाने तारबन्दी करवाने,सिंचाई हेतु नवीन चाह का इन्द्राज करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादी की आराजीयात की किस्म पुराने राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। जवाब सरकार की ओर तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेंर में वादी बैजनाथ पुत्र काना जाट की जमाबन्दी स. 2042 में खाता स. 244 के खसरा नम्बर 34/2 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी 3 व खाता स. 282 के खसरा नम्बर 34/1मि. रकबा 5–15–00 बीघा किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी स. 2058 (आधार जमाबन्दी) जर्ये सेटलमेन्ट के खाता स. 113 व 114 मे बने नवीन खसरा नम्बर 38 रकबा 1.94 है. किस्म पे.ता.1, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.93 है. किस्म पे.ता.1 वादी के नाम खातेदार दर्ज है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त रकबे की किस्म क्रमशः बारानी 3 व बारानी 1 थी जो कि सहवन सेटलमेन्ट ने पेटा तालाबी.1 दर्ज कर दी। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट संवत 2068 से 2074 तक उक्त खसरा नम्बरान में खरीफ की फसल काश्त होना बताया है एवं उक्त खसरान डूब क्षेत्र से बाहर होना बताया है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी व पटवारी हल्का फारकिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी, पटवारी हल्का फारकिया वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेंर में वादी बैजनाथ पुत्र काना जाट का जमाबन्दी सं. 2042 में खाता सं. 244 खसरा नम्बर 34/2 किस्म बारानी 3 एवं खाता संख्या 282 के खसरा नम्बर 34/1 किस्म बारानी 1 के अनुसार उक्त खसरान नम्बर से बने वर्तमान खसरान नम्बर में वर्तमान किस्म पे.ता. के स्थान पर किस्म बारानी 1 एवं बारानी 3 का अंकन किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 23.5.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भराई में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी